

230

106

R 2330 J/12

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)



- 1- देवधारी पिता रामप्रसाद बैसवार
- 2- कालीचरण पिता रामप्रसाद बैसवार
- 3- शोभनाथ पिता रामप्रसाद बैसवार
- सभी निवासी ग्राम घिनहागांव, तहसील देवसर, जिला सिगरौली (म0प्र0)
- 4- सुभाषचन्द्र गुप्ता पिता रामकृपाल गुप्ता, निवासी ग्राम बरैनिया, तहसील देवसर, जिला सिगरौली (म0प्र0)
- 5- रामसिया गुप्ता पिता स्व0 रामलखन गुप्ता, निवासी ग्राम बरगंवा, (बरहवा टोला), तहसील देवसर, जिला सिगरौली (म0प्र0)

R 2330 J/123

आवेदकगण

बनाम

मनीराम पिता खेलूराम बैसवार, निवासी ग्राम घिनहागांव, तहसील देवसर, जिला सिगरौली (म0प्र0)

आवेदकता श्री जे.पी.  
सिंह द्वारा प्रस्तुत  
रीवा दि० 25-6-2012

25/6/12

अनावेदक

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सिगरौली म0प्र0 के प्रकरण क्र0-159/निगरानी/2010-2011 आदेश दिनांक 26/04/2012  
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

23-7-12

यह कि भूमि खसरा क्र0-1411, 1412 कमश रकवा 0.22 हे0, 0.47 हे0, स्थित ग्राम घिनहागांव, तहसील देवसर, जिला सिगरौली के भूमिस्वामी व आवेदक क्र0-1 ता 3 मालिक भूमिस्वामी काविजदार थे जिसके 1/2 हिस्से के नामांतरण हेतु अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत नामांतरण का आवेदन पत्र अनावेदक ने नायब तहसीलदार, तहसील देवसर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें नायब तहसीलदार महोदय ने अपंजीकृत दस्तावेज को एम्पाउण्ड कराने का आदेश पारित किया जिससे पीड़ित होकर आवेदक क्र0-1 ता 3 ने अपर कलेक्टर सिगरौली के न्यायालय में चुनौती दिया


25/7/12

106

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.2330-I/12 जिला-सिमरौली

देवधारी वैसगर विरुद्ध मोनराम वैसगर

(1)	(2)	(3)
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>अजनी कुमार सोनी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला <u>सिमरौली</u> के प्रकरण क्रमांक <u>159/निगरानी/2018-11</u> में पारित आदेश दिनांक <u>26.04.12</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>28.03.19</u> को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

एम्पाउण्ड कराने का आदेश पारित किया जिससे पीडित होकर आवेदक क0-1 ता 3 ने अपर कलेक्टर सिमरौली के न्यायालय में चुनौती दिया

  
सदस्य